

TR-1938
2/11/17



C-1889
25/10/17

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक. आर/839/2017

दिनांक-.....17/10/.....2017

कार्यालय आदेश

वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.06.2017 के मद संख्या 08, 09 एवं 10 का कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.06.2017 में अनुमोदन उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 658/सत्तर-1-2016-16 (74)/2016 टी.सी. दिनांक 17.08.2017 द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व में प्रभावी अध्यादेश से सम्बन्धित परीक्षाशुल्क/शिक्षणशुल्क एवं अन्य शुल्क निम्नवत् संशोधित की जाती है। यह शुल्क शैक्षिक सत्र 2017-18 (01.07.2017 से प्रभावी) से लागू की जाती है:-

1. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम-

वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती - परीक्षा शुल्क रु. 1500/- प्रति परीक्षार्थी
वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है - परीक्षा शुल्क रु. 1700/- प्रति परीक्षार्थी

2. स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम:-

वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती - परीक्षा शुल्क रु. 2000/- प्रति परीक्षार्थी
वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है - परीक्षा शुल्क रु. 2200/- प्रति परीक्षार्थी

3. एम.बी.ए. (टी.टी.एम.) एम.बी.ए.(एच.एम.),

बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए., बी.एससी. (बायोटेक),

समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण- शुल्क रु. 40,000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र

4. एम.एड. पाठ्यक्रम -

(पूर्व निर्धारित अन्य शुल्क जैसे -

परीक्षा शुल्क रु. 3000/- प्रति छात्र

नामांकन शुल्क कीड़ा एवं सांस्कृतिक शुल्क यथावत रहेगा।

(कैलाश नाथ सिंह)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. उपकुलसचिव (लेखा)।
4. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. लेखाकार, अधीक्षक (लेखा/परीक्षा/गोपनीय/सम्बद्धन विभाग)।
6. श्री अखिलेश/श्री आसिफ, शुल्क प्रभारी।
7. एजेन्सी 2015-17 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी में अपलोड करे।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव